13.10.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० पत्रावली वास्ते। और 6 वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 08.12.25 को पेश हो।

08.12.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पुकार० पत्रा० दिनांक 04.02.26 को पेश हो।

04-02-26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप/ अप्रार्थी संख्या 1 व 6 अनुपस्थित। अत: उनके विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाती है। बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भाँति अवलोकन किया गया। जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचे है कि प्रकरण से संबंधित खाते में भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है अत: सहखातेदारान का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाना वाजिब है।

ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढे एवं कानूनी पेचीदगीयां पैदा नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी शुदा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.06.2025 को ताफैसला मूलवाद पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०